

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।  
पत्रांक 5512 / मीरजापुर / 33 दिनांक, मीरजापुर, जून, 29, 2018।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

**विषय—** जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) कि०मी० संख्या 49.500 से कि०मी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल-131.0175 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ—** कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-5334/11-सी- FP/UP/ROAD/30569/2017 लखनऊ दिनांक 20.06.2018।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में सदरमित पत्र में उल्लिखित कर्मियों के बिन्दु संख्या-2,4,9 का निवारण कर प्रस्तावक संस्था द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 11015/5/वाराणसी/रा०रा०-7, फॉरेस्ट/2018-19/30182 दिनांक 27.06.2018 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया शेष बिन्दुओं की आपत्तियों का इस कार्यालय से निवारण कर सूचना/ संशोधित प्रारूप मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 2501/11-सी० दिनांक 24.05.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप (टेबुलर फार्म) में निम्न प्रकार प्रेषित है।

observ no	obserbotion	reply
1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में (31-60) से०मी० से अधिक व्यास वाले 5352 वृक्ष अपलोड किये गये हैं, जबकी संलग्न सूची में (31-60) से०मी० से अधिक व्यास वाले वृक्षों की संख्या 5328 है, अतः संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाइन भाग-2 में वृक्षों की संख्या अपलोड करें।	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या भाग-2 में (31-60)से० मी० से अधिक व्यास वाले 5352 वृक्ष अपलोड किये गये थे जबकी संलग्नक सूची में (31-60) से०मी० से अधिक व्यास वाले वृक्षों की संख्या 5328 थी, जिसे प्रस्ताव में संलग्नक सूची के अनुसार आन लाइन भाग-2 में वृक्षों की संख्या अपलोड कर दिया गया है।
2	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में शुद्ध वर्तमान मुल्य की गणना दर प्रस्ताव में अंकित हरियाली धनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है, अतः शंसोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र हरियाली धनत्व के अनुसार संशोधित कर प्रस्तावक संस्था द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित GEO refferenced digital map संलग्न है, किन्तु शीर्षक पुर्ण रूप से अंकित नहीं किया गया है। तथा सभी GEO refferenced digital map आनलाइन भाग-2 में अपलोड नहीं है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के समस्त GEO refferenced digital map पूर्ण शीर्षक अंकित करते हुये भाग-2 में अपलोड कर दिये गये है।

4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन soi topo sheet संलग्न है। किन्तु शीर्षक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। तथा सभी soi topo sheet ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड नहीं है। अतः पूर्ण शीर्षक अंकित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 1:50,000 माप की रंगीन soi topo sheet में पूर्ण शीर्षक अंकित कर समस्त soi topo sheet भाग-2 में अपलोड कर दिये गये है।
5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की बचनबद्धता संलग्न है, किन्तु बचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली धनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है, अतः संशोधित बचनबद्धता संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करे।	प्रस्तावित वन भूमि का हरियाली धनत्व के अनुसार संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपलोड कर दिया गया है।
6	NPV जमा किये जाने की बचनबद्धता तथा NPV में बढोत्तरी के उपरान्त बढी हुयी धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता संलग्न है। किन्तु बचनबद्धता में शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की दर हरियाली धनत्व के अनुसार नहीं ली गयी है। अतः संशोधित बचनबद्धता संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करे।	प्रस्तावित वन भूमि का हरियाली धनत्व के अनुसार संशोधित NPV जमा करने की बचनबद्धता व NPV में बढोत्तरी के उपरान्त बढी हुयी धनराशि के भुगतान की बचनबद्धता संलग्न है।
7	ECO क्लास के अनुसार NPV की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है अतः हरियरली धनत्व के अनुसार रू0 803000.00 की दर से NPV की गणना कर ऑनलाइन अपलोड करें।	निर्देशानुसार ECO क्लास के अनुसार 803000.00 रू प्रति हे0 की दर से NPV की गणना कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
8	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 5 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः क्रमांक-5 में the area is covered under plantation working circle of the working plan फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 5 में निर्देशानुसार the area is covered under plantation working circle of the working plan फीड कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक संख्या-18 पर संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के कारण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भाग-2 व प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से लीज अवधि प्रमाण पत्र पृथक कर ऑनलाइन भाग-2 से भी पृथक कर लिया गया है।
10	उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर तथा पूर्व में आनलाइन अपलोड किये गये प्रस्तावों को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	निर्देशानुसार पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न कर पूर्व में आनलाइन अपलोड किये गये प्रस्तावों को डिलीट कर संशोधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक-प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

01c

(राकेश चौधरी)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।